

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 637/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

श्री राम हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, शाखा कार्यालय प्लॉट नम्बर 245 एवं 246 द्वितीय तल, ओमकारम टावर, हनुमान नगर-डी, आस्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अभिमन्यु सिंह शेखावत पुत्र स्व. श्री सैलाब सिंह
पता :- 19, सहकार नगर, सत्य नगर रोड, झोटवाडा, जयपुर।
एव जरिये मैसर्स अभिमन्यु गार्डन एण्ड रेस्टोरेन्ट, प्लॉट नम्बर 1, विशाल नगर, नेमी नगर विस्तार के पास, वैशाली नगर, जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर 4, विशाल नगर, नेमी नगर विस्तार के पास, वैशाली नगर, जयपुर।
2. श्रीमती विवेका पत्नी श्री अभिमन्यु सिंह शेखावत
3. श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सैलाब सिंह
पता :- 19, सहकार नगर, सत्य नगर रोड, झोटवाडा, जयपुर।
एवं प्लॉट नम्बर 4, विशाल नगर, नेमी नगर विस्तार के पास, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री भवानी सिंह नरुका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 10.11.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी पुर्नभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अभिमन्यु सिंह शेखावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 4, विशाल नगर, नेमी नगर विस्तार के पास, वैशाली नगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 574 वर्गगज को बन्धक रख कर दिनांक 23.10.2016 को राशि 02,22,14,860/-रूपये एवं दिनांक 11.11.2021 को राशि 12,15,941/-रूपये कुल राशि 02,34,30,801/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.07.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 12 फरवरी 2021 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 02,34,30,801/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 01,94,46,564/- रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.07.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री अभिमन्यु सिंह शेखावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 4, विशाल नगर, नेमी नगर विस्तार के पास, वैशाली नगर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 574 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल

द्वपत्र हो।

7. आदेश आज दिनांक 10.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर